नम्बर अहकाम हुक्म	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		25.3.21 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी का भी मौजूद पेश। वकील अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 5.4.21 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO), खींवसर 5-4.21 पत्रावली पेश। पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 15-4.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर) 15-4.21 पत्रावली पेश। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 251 RTA स्वीकार किया जाता है कि विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद तहसीलदार श्री किशन सिंह जगदी पत्रावली नियमानुसार बाद मिलान दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)	

परन्तु आपसी बंटवाड़े के वक्त प्रश्नगत रास्ता ही रास्ते के रूप में ही उक्त रास्ता काम में जाता रहा है, और प्रश्नगत रास्ते को की रास्ता घोषित किये जाने का प्रार्थीगण ने निवेदन है प्रश्नगत रास्ता का सरल, सुगम, जो तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट से साबित होता है ।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात एवं दार खींवसर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया । जिससे यह सुस्पष्ट होता है र्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । तथा प्रश्नगत रास्ता ही सरल, सुगम, जो प्रार्थीगण के खेत खसरा नबंर 79 में आने जाने हेतु का खेत ख.न. 79/1050 में बिन्दु संख्या क से ख तक, जो कि पक्षकारान के मध्य आपसी में उक्त रास्ता पूर्व में रखा गया था इसलिए उक्त 15 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाना चेत प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ की प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आवश्यकता है प्रश्नगत रास्ता सरल, सुगम वाला रास्ता है यह सभी तथ्य तहसीलदार र की रिपोर्ट से भी ताईद होते है और यही अन्तर्गत धारा 251 अ की मशां है ऐसी स्थिति में ण का उक्त आवेदन अन्तर्गत धारा 251 अ स्वीकार करने योग्य होने की वजह से स्वीकार जाता है।

अतः तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :–

आदेश

अतः प्रार्थीगण के मौजा पाचौड़ी के खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा नबंर 79 जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत के खेत ख.न. 79/1050, से सड़क मार्ग तक 15 फुट चौड़ा नजरी नक्शा में दर्शाये गए क से ख तक घोषित किया किया जाता है। उक्त रास्ता दिये नें प्रभावित रकबे 19 बिश्वा की डीएलसी दर से तीन गुना राशि 42351/– रूपये प्रार्थीगण ल कर प्रभावित रकबे अनुसार इनकें खातेदारान को भुगतान किया जाकर उक्त आदेश की की जाकर राजस्व रेकर्ड में अकंन कर तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। अगर कोई भी गण उक्त प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं करते है तो प्रतिकर राशि राजकोष में जमा करवाई जाकर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से सात योम में अवगत कराना सुनिश्चित करे। उक्त पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता जो सभी के लिए उपयोग उपभोग में काम आयेगा।

उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। क्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त आदेष आज दिनांक : 15-4.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर